न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर (पलामू)।

विनय राम
बनाम
विजय कुमार

अनुसूची-14 फारम सं0- 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता0 .... से .... तक

जिला- पलामू/ अनुमति वाद संख्या-01 सन् 2024-25

केस का विषय- CNT Act.-1908 U/S 46 अंतर्गत भूमि अंतरण (बिक्री) अनुमति से संबंधित।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13/09/25	**अभिलेख उपस्थापित।** आवेदक द्वारा दिनांक-03.06.2024 को भूमि अंतरण अनुमति वाद से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों वो कागजातों के साथ Acknowledgement no.-**RCMSON24077313** के तहत भूमि बिक्री हेतु ऑनलाईन आवेदन दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदक जमाबन्दी रैयत रूपदेव चमार के परपौत्र हैं जिसकी पुष्टि जनप्रतिनिधि द्वारा सत्यापित संलग्न वंशावली के अवलोकन से होती है। **आवेदक (बिक्रेता) विनय राम,** पिता स्वर्गीय बिगन राम, जाति चमार (अनुसूचित जाति),निवासी ग्राम मसिहानी (मन्देया), डाकघर एवं थाना छत्तरपुर, जिला पलामू (झारखंड) एवं **केता विजय कुमार,** पिता स्वर्गीय मुन्नी लाल डोम, जाति डोम(अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम+डाकघर+थाना-छत्तरपुर, दोनों एक ही थाना छत्तरपुर एवं एक ही जिला पलामू के निवासी हैं। आवेदक द्वारा भूमि बिक्री अनुमति हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक-283 दिनांक-21.09.2024 के द्वारा अंचलाधिकारी, छत्तरपुर से आम इस्तेहार तामिला प्रतिवेदन एवं जाँचोपरांत स्पष्ट मंतव्य वो अनुशंसा के साथ जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, छत्तरपुर ने अपने पत्रांक-620 दिनांक-30.05.2025 के द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति दिये जाने की स्पष्ट अनुशंसा के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिसमें भूमि बिक्री की अनुमति दिये जाने की स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित है कि:- **आवेदक द्वारा धारित** भूमि का रकबा-2.71½ एकड़ है जिसमें से मौजा मसिहानी, थाना नम्बर-336 के अंतर्गत खाता संख्या-2, प्लॉट नम्बर-1260 में बिक्री रकबा-18.50 डिसमिल भूमि की बिक्री **केता** को करने के पश्चात आवेदक (बिक्रेता) के पास 2.53 **एकड़** भूमि शेष बचती है। इस तरह भूमि बिक्री के पश्चात भी आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं। आवेदित भूमि का मालगुजारी वर्ष 2014-15 तक देय है तथा कोई सरकारी बकाया नहीं है। प्रस्तावित भूमि का माँग आवेदक के स्व0 दादा के नाम से कायम है एवं बिक्री भूमि रैयती खाता की है तथा उक्त भूमि भू-दान, भू-हदबन्दी, बासगीत, बन्दोबस्ती व सार्वजनिक उपयोग से मुक्त है। **आवेदक (बिक्रेता) विनय राम,** पिता स्वर्गीय बिगन राम के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करने हेतु रूपया की सख्त आवश्यकता के मद्देनजर **केता विजय कुमार, पिता स्वर्गीय मुन्नी लाल डोम,** जाति डोम (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम+डाकघर+थाना-छत्तरपुर, जिला पलामू के साथ अपनी भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

बिक्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के डोम (अनुसूचित जाति) के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा दोनों एक ही थाना छतरपुर व एक ही जिला पलामू के निवासी हैं।

आवेदक से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित अंचलाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है।

आवेदक (बिक्रेता)/क्रेता के नाम निर्गत जाति/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्गत आधार कार्ड, पंजी-II, लगान रसीद, वंशावली, खतियान, केवाला आदि की छाया प्रति संलग्न है तथा उपरोक्त उसके आधार पर भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

उपायुक्त, पलामू के आदेश ज्ञापांक-294/विधि0, दिनांक-21.02.2024 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, छतरपुर को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यो के निष्पादन हेतु प्राधिकृत हैं।

अंतः आवेदक (बिक्रेता) द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति दिये जाने हेतु समर्पित दस्तावेज/कागजातों के साथ अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा उक्त भूमि बिक्री अनुमति के संबंध में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक बिक्रेता 1-विनय राम, पिता स्वर्गीय बिगन राम, जाति चमार (अनुसूचित जाति), निवासी ग्राम मसिहानी (मन्देया), डाकघर एवं थाना छतरपुर, जिला पलामू, राज्य झारखंड को क्रेता विजय कुमार, पिता स्वर्गीय मुन्नी लाल डोम, जाति डोम (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम+ डाकघर+थाना-छतरपुर, जिला पलामू, राज्य झारखण्ड के साथ ऊपर वर्णित की भूमि बिक्री (अंतरण) हेतु स्वीकृति .... प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित सहायक स्वीकृरात्यादेश तैयार कर जिला अवर निबंधक, मेदिनीनगर, पलामू/ कार्यालय अवर निबंधक हुसैनाबाद (पलामू)/संबंधित बिक्रेता /क्रेता एवं अंचल अधिकारी, छतरपुर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

13/09/25
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
छत्तरपुर (पलामू)।

13/09/25
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by VIJAY KERKETTA
Date: 2025.10.09 15:18:55 +05:30
Location: 10.85.93.105